

## निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व वैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सक्रयोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

\_www.dicgc.org.in\_\_\_

DICGC.No.DAT. 6182 / 03.05.022 /2013-14 March 12, 2014	निबीप्रगावि.डीएटी. / 6182 / 03.05.022 2013-2014 मार्च 12 , 2014
The Chairman/Managing Director/Chief Executive Officer	अध्यक्ष / प्रबंधक निदेशक /मुख्य कार्यपालक आधिकारी
Insured banks	बीमाकृत बैंक
Dear Sir,	प्रिय महोदय,
Remittance of Premium through RTGS/NEFT	आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान
Attention of the banks is invited to the circular DICGC.DID.4785/05.03.001/ 2008-09 dated September 15, 2008 advising the banks to pay the deposit insurance premium through RTGS/NEFT.	सभी बैंको का ध्यान 15 सितंबर 2008 के परिपत्र डीआईसीजीसी डीआयडी 4785/05.03 001/2008- 09 पर आकृष्ट करते है जिसमें बैंकों को निक्षेप बीमा प्रीमियम का भुगतान रटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से करने का अनुरोध किया गया था।
2. It has been observed that the banks are not quoting the "institution code" allotted by the Corporation while remitting the premium through RTGS/NEFT. In certain cases neither the name of the bank nor the "institution code" has been quoted in RTGS remittances. In absence of the "institution code", it becomes difficult for the Corporation to credit the account of the beneficiary as there are more than one insured banks in the same/similar names. This becomes an avoidable cause of delayed/incorrect credit.	2 यह पाया गया है कि बैंकों द्वारा आरटीजीएस/एनईफटी के माध्यम से प्रीमियम की राशि प्रेषित करते समय निगम से आबंटित "संस्था कोड" का उद्धुरण नहीं किया जाता है। कुछ मामलों में आरटीजीएस के प्रेषण के समय न बैंक का नाम और न ही "संस्था कोड" का उल्लेख किया जाता है। "संस्था कोड" उद्धुरण के अभाव में निगम को लाभार्थी के खाते में क्रेडिट जमा करना असंभव होता है क्योंकि एक जैसे नामों के एक से अधिक/समान बीमाकृत बैंक हैं। यह देरी से/क्रेडिट सही खाते में जमा न होना ,आदि का एक बचने योग्य कारण है।

प्रधान कार्यालय :आरतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008

द्रशाय फैक्स: 022-23018165,23015662,23021131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571Mumbai Central, Mumbai-400 008

 $\textbf{Tel: Fax: } 022\text{-}23018165,23015662,23021131, } \textbf{mail: } \underline{\text{dicgc@rbi.org.in}}$ 

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

3. It is, therefore, advised that all insured banks should quote "institution code" in all their remittances/correspondence to the corporation. In absence of the "institution code", the Corporation will not be responsible for delayed credit to the remitter/beneficiary. The Corporation also reserves the right to return the remittance to the sending bank, if the "institution code" is not quoted. Where, the remittance is returned, it will be presumed that no premium has been received and consequential action will follow.

3 अतः सभी बीमाकृत बैंकों से अनुरोध है कि वे निगम को प्रेषित विप्रेषण/पत्राचार करते समय "संस्था कोड" का उपयोग करें। "संस्था कोड" के अनुपस्थित में विप्रेषक/लाभार्थी को देरी से जमा होने वाले क्रेडिट के लिए निगम उत्तरदाई नहीं होगा। यदि "संस्था कोड" का उद्धरण नहीं किया जाता है तो, निगम प्रेषिति बैंक को विप्रेषण वापस लौटाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। जब कि, विप्रेषण लौटाया जाता है, तो यह समझा जाएगा कि कोई प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है और आगे की अनुषंगिक कार्रवाई की जायेगी।

4. The banks are also advised that they should remit the exact amount of premium rounded off to the nearest Rupee avoiding any excess or short payment. They are also advised to use the correct IFS Code corresponding to the mode of remittance viz. RTGS and NEFT. The current IFS Codes are as under.

RTGS	DICG0000001
NEFT	DICG0000002

In case the premium is delayed/not received by the Corporation owing to wrong IFS code quoted by the bank, the interest/penalty will be charged on the delayed receipt of premium and the same would not be waived in any circumstances.

4 बैंक से यह अनुरोध है कि वे जरुरत से ज्यादा अथवा कम भुगतान से बचे रहे और प्रीमियम की राशि को रुपए के नजदीकी में पूर्णांकित करें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे विप्रेषण के प्रकार के अनुसार सही आईएफएस कोड का उपयोग करें। । उनके वर्तमान आईएफएस कोड निम्नानुसार है।

आरटीजीएस /RTGS	DICG0000001
एनईएफटी/NEFT	DICG0000002

यदी बैंक द्वारा आईएफएस कोड का गलत उद्ध्रण करने के कारण प्रीमियम निगम में देरी से अथवा प्राप्त नहीं होता है तो, प्रीमियम की प्राप्ति देरी से होने के कारण ब्याज/दण्ड देना होगा और किसी भी परिस्थिति में इसमें छूट नहीं दी जाएगी।

Yours faithfully,

maury2

भवदीय,

(विजय कुमार मौर्य)

उप महाप्रबंधक